न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 187/2016

निर्णय दिनांकः– 19/05/2017

1. जगदीश
2. पांचूराम
3. प्रकाश

पुत्रान बजरंग जाति जाट नि0 दतुली तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र बिरदा
2. बोदूराम पुत्र बिरदा
3. सीताराम पुत्र भैरू
4. छोटू पुत्र भैरू
5. मन्नी बेवा भैरू

समस्त जाति जाट निवासी दतूली तहसील फागी जिला जयपुर।

6. लाली पत्नि सुरेश पुत्री भैरू जाति जाट निवासी माण्डया की ढाणी रेनवाल मांजी तहसील फागी।
7. पप्पूडी पत्नि श्योपाल पुत्री भैरू जाति जाट निवासी माण्डया की ढाणी रेनवाल मांजी तहसील फागी।
8. रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ
9. गोपाल पुत्र जगन्नाथ
10. लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति जाट निवासी दतूली तहसील फागी जयपुर।

11. उपपंजीयक माधोराजपुरा तहसील फागी।
12. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री बुद्विप्रकाश शर्मा वकील वादी

–:: घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: निर्णय ::– दिनांक 19.05.2017

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.....2

(2)

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 78 के ख0न0 793 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दतूली तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसके वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हे। वादीगण के पिता ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता से दिनांक 11.06.1996 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1/2 हिस्से सम्पूर्ण को क्रय किया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 336 दिनांक 08.07.1996 को वादीगण के पिता के नाम उक्त आराजी का नामान्तकरण तस्दीक किया गया था। लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 में बिरदा पुत्र भींवा का हिस्सा 1/2 के स्थान पर भैरू वगैराह का हिस्सा 1/2 में से 1/2 का अंकन हो गया, जबकि वादीगण के पिता नाम बिरदा पुत्र भींवा के हिस्से सम्पूर्ण 1/2 का नामान्तकरण का जमाबन्दी में अमल दरामद होना था जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादीगण के पिता की दिनांक 10.10.2012 को मृत्यु होने पर वादीगण द्वारा अपना राजस्व रेकार्ड की जानकारी ली तो वादीगण को पता चला की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता से उक्त क्रय की आराजी की जमाबन्दी में हिस्सा 1/4 दर्ज है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बैचान की गई भूमि 1/2 हिस्से का अंकन है। वादीगण ने तत्पश्चात पटवारी हल्का से नामान्तकरण पृविष्टी जमाबन्दी सम्बत 2051 से 2054 की प्राप्त की तो उक्त गलती की जानकारी हुई की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के हिस्से 1/2की जगह प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के हिस्से की आराजी 1/2 में से 1/2 अंकन कर दिया है। जिससे जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की आराजी 1/2 वादीगण के पिता के नाम नही होकर यथावत रह गइ तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 के हिस्से 1/2 में से 1/2 दर्ज जमाबन्दी हो गई जो गलत है। वादीगण के पिता भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी क्रय कर नामान्तकरण तस्दीक करवाकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है इसी अनुसार 1/2 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 हिस्सेनुसार काबिज काश्त है तथा उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होने की वादीगण द्वारा जानकारी देने व नाम लगाने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त अराजी 1/2 हिस्से को वादीगण के नाम करवाने का आश्वासन दिया जिस पर वादीगण ने विश्वास कर कोई कार्यवाही नही की गई थी। वादीगण व उनके पिता भी सीधे सादे व्यक्ति है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता काफी चालाक व्यक्ति होने से कारकानूनगों से साजकर अपने हिस्से 1/2 का सम्पूर्ण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बैचान करने के पश्चात भी प्रतिवादी सख्या 3 लगायत 10 के हिस्से में से पटवार हल्का से साजकर नामान्तकरण अंकन जमाबन्दी सम्वत 2051 –

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.....3

2054 में गलत नोट दर्ज करवा दिया गया, जिससे वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मृत्यु उपरान्त बैचानशुदा भूमि का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया। वादीगण के पिता को उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नही हुई तथा उनके पश्चात वादीगण को भी उपयोग उपभोग से किसी ने वंचित नही किया तथा अनपढ व सीधे सादे व्यक्ति होने से कभी राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नही किया गया क्योकि मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। अभी हाल ही दिनांक 15.02.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व उनके साथ दीगर व्यक्ति उक्त आराजी पर आये और बैचान की चर्चा करने लगे, वादीगण द्वारा उक्त आराजी के बारे में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके पिता द्वारा बैचान करना बताया तथा कहा कि प्रतिवादी सख्या 2 स्वंय उक्त आराजी को बैचान में बतौर गवाह है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आग बबूले होकर राजस्व रिकार्ड में नाम होने का हवाला दिया तथा धमकी दी कि उक्त आराजी का बैचान कर तुम्हे बेदखल कर दिया जायेगा। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उदेश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो वादीगण अपनी एकमात्र आजीविका से वंचित हो जावेगे जिससे उनको अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी। वाद कारण दिनांक 15.02.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि पर आकर बैचान की धमकी देने व बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ हैं विवादित भूमि मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। पत्रावली कैम्प कोर्ट झाडला में पेश हुई। प्रतिवादीगण उपस्थित आये। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनाम होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया तथा अपने राजीनामा मे बताया की नामान्तकरण संख्या 336 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दुरूस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विक्रय पत्र के अनुसार विलोपित कर वादीगण को 1/2 हिस्से व शेष आराजी 1/2 में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 को उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तो हमें कोई आपत्ति नही है।

बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा वादीगण को वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

उपखण्ड अधिकारी
कानोता (जयपुर)

लगातार.....4

(4)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वलोकन करने पर पाया की वादीगण ने वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2067 – 2070 वाके ग्राम दतूली खाता संख्या 78 के ख0न0 739 बजंरगलाल पुत्र लाला हि0 1/4 भैरू गोपाल लक्ष्मण पि0 जगन्नाथ हि0 1/4 बिरदा पुत्र भीवा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा ग्राम पंचायत झाडला के द्वारा दिनांक 20.11.2012 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है की बजरंग लाल की मृत्यु पूर्व में दिनांक 10.10.2012 को हो चुकी है। व पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति दिनांक 11.06.1996 से स्पष्ट है कि बिरदा पुत्र भींवा ने ख0न0 793 में अपने 1/2 हिस्से को बजरंग पुत्र लाला जाति जाट नि0 दतुली को विक्रय कर दी है। नामान्तकरण संख्या 336में भी बजंरग पुत्र लाला 1/2 हिस्से दर्ज रिकार्ड है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने तथ्यो को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश में हम वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 78 के ख0न0 793 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दतूली तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में नामान्तकरण संख्या 336 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित किया जाकर इनके स्थान पर वादीगण को 1/2 हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 को इनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को कैम्प कोर्ट झाडला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 ज़ाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– **सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)**

उनवान

जगदीश पुत्र बजंरग लाल जाति जाट निवासी दतूली तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

बनाम

हनुमान पुत्र बिरदा जाति जाट निवासी दतूली तहसील फागी जिला जयपुर वगै0।

::– वाद घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 187/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 78 के ख0न0 793 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दतूली तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में नामान्तकरण संख्या 336 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम विलोपित किया जाकर इनके स्थान पर वादीगण को 1/2 हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 को इनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/05/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
ओहदा.....

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर